न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2021 आ0नि0

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. गोकल पिता किशना जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970।

उपस्थित —

1. अधिवक्ता प्रार्थी — राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक : 02-05-2024

1— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा में साबिक आराजी नंबर 608 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं आराजी नंबर 609 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा आवन्टी गोकल पिता किशना जाट निवासी गोविन्दपुरा के पटवार हल्का खेमाणा को दिनांक 05.12.1978 को आवंटन हुई जिसका ना.क.सं. 316 दिनांक 13.02.1979 दर्ज किया गया। ग्राम गोविन्दपुरा मूल ग्राम चारोट के नवीन राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा नया राजस्व ग्राम बनाया गया है। भू—प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नंबर 608 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा के नये नंबर 44 रकबा 0.63 हैक्टयर एवं साबिक आराजी नंबर 609 रकबा 1 बीघा 15 बिस्व के नवीन आराजी नंबर 45 रकबा 0.38 हैक्टयर कायम किये गये। आवंटन से अब तक इसी आवन्टी गोकल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आवन्टी गैर खातेदार गोकल की मृत्यु हुये करीब 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। मृतक के कोई जाइन्दा आद औलाद एवं पत्नी नहीं है। पत्नी पूर्व में ही फौत हो चुकी है। आराजी नंबर 44/0.63, आराजी नंबर 45/0.38 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 1.01 हैक्टयर वर्तमान में रास्ते के रूप में काम में आ रही है। इन पर किसी का कब्जा नहीं है, इसलिए उक्त गैर खातेदारी आवंटन को निरस्त करा भूमि बिलानाम सरकार कराने की कृपा करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

2— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 03.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया।** चूंकि अप्रार्थी लाऔलाद फौत हो गया है एवं तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में वर्णित अनुसार अप्रार्थी के कोई जीवित वारिसान नहीं है, इसलिए प्रकरण में प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

3— प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजियात अप्रार्थी/आवन्टी को आवंटित की गई थी एवं उक्त आवन्टी गैर खातेदार गोकल की मृत्यु हुये करीब 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। मृतक के कोई जाइन्दा आद औलाद, पत्नी व कोई जीवित वारिसान नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त करा भूमि बिलानाम सरकार कराने का आदेश फरमावें।

4— **मैने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परीक्षण किया।** पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2019 में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 खेमाणा तहसील रायपुर के आराजी नंबर 44 रकबा 0.63 हैक्टयर किस्म भू. एवं आराजी नंबर 45 रकबा 0.38 हैक्टयर किस्म पेटा कुल किता–2 कुल रकबा 1.01 हैक्टयर भूमि गोकल पिता किशना जाट सा.देह गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपरोक्त खसरों पर किसी का कब्जा नहीं है। मौतबिरानों के जानकारी करने पर जाहिर हुआ कि उक्त गैर खातेदार गोकल पिता किशना जाट की मृत्यू हुए करीब 20 वर्ष हो चुके है व उसके कोई जायन्दा वारिसान नहीं है, पत्नि की भी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। मौके पर उक्त खसरा नंबर ग्राम गोविन्दपुरा से ग्राम चारोट जाने वाले ग्रामीण रास्ते से सटी हुई होकर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है।

5— उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजियात पर अप्रार्थी व किसी अन्य का कब्जा काश्त नहीं है, जबकि कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि पर कृषि कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और अप्रार्थी/आवंटी द्वारा कब्जा, काश्त एवं कृषि कार्य नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की उल्लंघना की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार पत्रावली में उपलब्ध ग्राम चारौट तहसील रायपुर स्थित आराजी संख्या 608 व 609 भूमि की सम्वत् 2037, 2038 एवं 2040 की खसरा गिरदावरी में भी उक्त भूमि पर फसल काश्त किये जाने की कहीं कोई प्रविष्टि/इन्द्राज नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा मौका पर्चा से यह पाया जाता है कि प्रार्थी/आवंटी ने मौके पर काश्त नहीं किया गया है एवं आवन्टी स्वयं भी 20 वर्ष पूर्व लाऔलाद फौत हो चुका है तथा उसके कोई जायन्दा वारिसान भी नहीं है। तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी/आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त कराने की अभिशंषा की गयी है जो न्यायोचित है।

6— भू–आवंटन नियम 14(3) के अंतर्गत आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि तथा द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि पर निरंतर काश्त करना अनिवार्य है, किन्तु इस मामले में अप्रार्थी/आवंटी द्वारा दिनांक 05.12.1978 को कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि पर आवंटन नियमानुसार काश्त न करना पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा जिस पर मौतबिरान के भी हस्ताक्षर है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2037, 2038 एवं 2040 इत्यादि से प्रमाणित होता है एवं पटवारी मौका रिपोर्ट से अप्रार्थी/आवन्टी का लाऔलाद फौत होना एवं वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में किसी का कब्जा नहीं होना भी सिद्ध होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा नियम 14(3) की स्पष्ट तौर पर उल्लंघना की गई है एवं आवन्टी/अप्रार्थी के 20 वर्ष पूर्व ही लाऔलाद फौत होने एवं वर्तमान में उसके कोई जायन्दा वारिसान नहीं होने से आवन्टी/अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किया जाना उचित है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतएव न्यायालय यह आदेश सुनाया जाना मुनासिब समझता है कि–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी/आवंटी श्री गोकल पिता किशना जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) के पक्ष में ग्राम चारोट (नवीन राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा) पटवार हल्का खेमाणा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज०) की साबिक आराजी नंबर 608 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नंबर 44 रकबा 0.63 हैक्टयर एवं साबिक आराजी नंबर 609 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नंबर 45 रकबा 0.38 हैक्टयर कायम हुए है, का दिनांक 05.12.1978 को किया गया आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है एवं उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ भेज कर आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकॉर्ड में उक्तानुसार समुचित पालना कराई जावें।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा